

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक: 21-05-2025

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-13831, दिनांक-24.12.2024 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 455% की दर से महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(3)/2025-E.II(B), दिनांक-02.04.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महुँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 455% से बढ़ाकर 466% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महुँगाई भत्ता की राशि को महुँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से महुँगाई भत्ता/राहत की दर 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, प्रथम मंजिल, मजरूल, नशेमान भवन, फ्रेजर रोड, बुद्धमार्ग, पटना-01/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आर० ब्लॉक, चाणक्य टावर, पटना/ इंडियन बैंक, फील्ड जेनरल मैनेजर ऑफिस, प्रथम तल, इंडियन बैंक, एफ०जी०एम०ओ० बिल्डिंग, कोतवाली थाना के नजदीक, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मैंहगाई भत्ता/राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-5782/वि०

पटना, दिनांक:-21-05-2025

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-16.05.2025 के मद संख्या-21 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव ।